कार्यालय नगर परिषद्, तेघड़ा (बेगूसराय)

Email:-teghra.nagarpanchayat@gmail.com

आम सूचना

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–4081, दिनांक–26.12.2024 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश के आलोक में स्वच्छता साथी का चयन किया जाना है जिसकी विवरणी निम्नवत है :–

स्वच्छता साथी के जिम्मेदारी, चयन प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देश

स्वच्छता साथी कौन होगे :–

1. स्वच्छता साथी कोई भी भारतीय हो सकता है परन्तु लोकल व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. अभ्यार्थी की उम्र 40 से अधिक ना हो।
3. अभ्यार्थी को कम–से–कम मैट्रिक पास होना चाहिए।
4. अभ्यार्थी की आवाज साफ हो ताकि वे अच्छे से Communicate कर सके।
5. अभ्यार्थी को स्वच्छता से संबंधित कार्यों में कम–से–कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
6. अभ्यार्थी के रूप में Waste Picker, Citizen Leader, SHG member, Swachhagarhi, Sanitation Worker, Brand Ambassadors एवं NULM, ASHA, Anganwadi worker, NGOs youth, Community Based Organizations, RWAs से संबंधित व्यक्ति या अन्य कोई भी आवेदन कर सकते है।
7. नगर परिषद् स्तर पर कुल संख्या– 10 स्वच्छ साथी।
8. साक्षात्कार दिनांक–04.02.2025 को नगर परिषद् तेघड़ा के सभागार में 12:00 बजे पूर्वाह्न से आयोजित की जाएगी।
9. अभ्यार्थी आवेदन फॉर्म कार्यालय नगर परिषद् तेघड़ा से प्राप्त कर सकते है।
10. अभ्यार्थी अपना आवेदन दिनांक–01.02.2025 तक नगर परिषद् तेघड़ा में जमा कर देगें।
11. सभी अभ्यार्थी अपना मूल दास्तावेज (यथा– अपने संबंधित मूल प्रमाण–पत्र, अंक प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड के साथ आवश्य आएगे।

स्वच्छता साथी को मिलने वाले लाभ :–

1. कार्य अवधि पांच घंटे प्रतिदिन न्यूनतम होगी।
2. प्रतिदिन की उपस्थिति संधारित की जाएगी।
3. छुट्टी हेतु निकाय की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
4. मानदेय प्रत्येक माह के एक से पांच तारीख तक देय होगा।
5. प्रतिदिन रू 300.00 के दर से प्रतिमाह 20 दिन का मानदेय 300 X 20 = 6000.00 रू० मानदेय के रूप में देय होगा।
6. स्वच्छता साथी को Contractual Basis पर एक वर्ष के लिए Hire किया जाएगा, जिसकी अवधी अक्टुबर, 2026 तक बढ़ाई जा सकती है।
7. प्रत्येक स्वच्छ साथी को प्रत्येक वर्ष में 200 दिनों के लिए Engage किया जाएगा।

8. 200 कार्य दिवस प्रत्येक माह में 20 दिन का होगा जो वर्ष के किसी भी 10 माह (स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए) में मान्य होगा।
9. सभी स्वच्छ साथी को Monitor करने की जिम्मेदारी लोक स्वच्छता पदाधिकारी की होगी।
10. छुट्टी एवं अन्य समस्याओं से संबंधि मामले लोक स्वच्छता पदाधिकारी देखेंगे।
11. किये गये कार्य की समीक्षा प्रत्येक माह की जाएगी एवं लगातार तीन माह तक कार्य संतोषजनक नहीं होने पर हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।

नोट :— **यह किसी भी प्रकार से Permanent Position नहीं है, अतः किसी भी तरह का Claim मान्य नहीं होगा।**

किशोर 21/01/25

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, तेघड़ा।

ज्ञापांक— 67 / दिनांक— 21/01/2025

प्रतिलिपि :— श्री प्रवीण कुमार साह (लेखापाल), नगर परिषद् तेघड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— श्री कृष्ण मुरारी कुमार (प्रधान सहायक—सह—कनीय अभियंता) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— श्री रिसव कुमार (सहायक लोक स्वच्छता पदाधिकारी), नगर परिषद् तेघड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सुश्री प्रिति जोशी (नगर प्रबंधक), नगर परिषद् तेघड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

किशोर 21/01/25

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, तेघड़ा।